

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 300]

भोपाल, गुरुवार, दिनांक 16 जून 2011—ज्येष्ठ 26, शक 1933

किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

क्रमांक बी-11/7/2011/14-2

भोपाल, दिनांक 16 जून 2011

अधिसूचना

कृषि मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र सं. 13011/02/2008—क्रेडिट II (पीटी) दिनांक 10 मार्च 2011 के द्वारा जारी प्रशासनिक अनुदेश खरीफ मौसम 2011 के द्वारा दिये गये अधिकारों का प्रयोग करते हुये राज्य शासन के द्वारा एग्रीकल्चर इन्श्योरेंस कम्पनी ऑफ इंडिया लिमिटेड (AGRICULTURE INSURANCE COMPANY OF INDIA LIMITED) /आईसीआईसीआई लॉम्बार्ड जनरल इन्श्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड (ICICI LOMBARD GENERAL INSURANCE COMPANY LIMITED) /इफ्को टोक्यो जनरल इन्श्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड (IFFCO TOKYO GENERAL INSURANCE COMPANY LIMITED) के माध्यम से भारत सरकार द्वारा चयनित मध्यप्रदेश राज्य के दतिया, श्योपुर एवं ग्वालियर जिलों में पायलेट आधार पर संशोधित राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना खरीफ वर्ष 2011 के लिए निम्न अनुसार अधिसूचित की जाती हैं :-

2. म.प्र. राज्य में पायलेट आधार पर संशोधित राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना मौसम खरीफ वर्ष 2011 के लिये जिले बीमा इकाई, अधिसूचित फसलें एवं बीमा कम्पनीयों की सूची निम्नानुसार है :-

तालिका - 1

क्र. सं.	जिले	मुख्य फसले	बीमा इकाई	कृषक श्रेणी	बीमा कम्पनी
1	दतिया	धान, मक्का	ग्राम पंचायत/ पटवारी हल्का	ऋणी और अऋणी कृषक	एग्रीकल्चर इन्श्योरेंस कम्पनी ऑफ इंडिया लिमिटेड
		मूंगफली, ज्वार, तिल	तहसील		
2	श्यापुर	धान, सोयाबीन, तुअर, मक्का, बाजरा	ग्राम पंचायत/पटवारी हल्का	ऋणी और अऋणी कृषक	आईसीआईसी आई लॉर्बार्ड जनरल इन्श्योरेंस कम्पनी लिमिटेड
		ज्वार, तिल	तहसील		
3	ग्वालियर	धान, बाजरा, सोयाबीन	ग्राम पंचायत/पटवारी हल्का	ऋणी और अऋणी कृषक	इफ्को टोक्यो जनरल इन्श्योरेंस कम्पनी लिमिटेड
		ज्वार, तिल	तहसील		

जोखिम स्तर के निर्धारण हेतु स्वीकृत प्रक्रिया, श्रेषहोल्ड उपज तथा वास्तविक प्रीमियम दरें संक्षेप में परिशिष्ट -1 में वर्णित हैं।

3. अधिसूचित फसलवार जोखिम स्तर, बीमित राशि की सीमाएँ एवं प्रीमियम की दरें परिशिष्ट -2 में हैं।

संशोधित राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना(पायलेट) के रूप में राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना के स्थान पर क्रियान्वित की जावेगी, अतः यह योजना राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना की तरह सेवा शुल्क में छूट-प्राप्त है। पटवारी मुख्यालय/ग्राम पंचायत वार /तहसील वार जानकारी परिशिष्ट-3 में है।

4. इस योजना का क्रियान्वयन खरीफ वर्ष 2011 में निम्नानुसार किया जाएगा :-

4.1. राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना का निकास :

जिन अधिसूचित क्षेत्रों की अधिसूचित फसलों हेतु संशोधित राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना क्रियान्वित की गई है वहाँ पर राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना क्रियान्वित नहीं रहेगी।

4.2. बीमा आवरण के लिए पात्र किसान :

अधिसूचित क्षेत्रों की अधिसूचित फसलों को उगाने वाले बटाईदारों, काश्तकारों सहित सभी कृषक योजना में कवर किए जाने योग्य हैं।

योजना के अन्तर्गत निम्नलिखित वर्गों के कृषकों को कवर किया जाएगा:

(क) अनिवार्य आधार पर : सभी कृषक जो अधिसूचित फसल उगा रहे हैं और वित्तीय संस्थानों से दिनांक 31 जुलाई, 2011 तक साख सीमा अनुमोदित है , जो कि ऋणी कृषक हैं ।

ऋण आवेदन में कृषक द्वारा घोषित रकबा अथवा वास्तविक बोये गये क्षेत्र के आधार पर बैंक शाखा द्वारा बीमा योग्य फसलों का आवरण पृथक-पृथक दर्शाना है।

(ख) ऐच्छिक आधार पर : अधिसूचित फसल उगाने वाले वे सभी कृषक (जो कि अऋणी कृषक) जो इस योजना में आने की इच्छा रखते हैं, वे निम्नानुसार हो सकते हैं:

- 1) स्वयं मालिक – जमीन जोतने वाले कृषक।
- 2) ठेके पर खेती के अन्तर्गत सम्मिलित कृषक, प्रत्यक्ष अथवा प्रवर्तक/आयोजक के द्वारा।
- 3) कृषक समूह/खाद कंपनी की सेवा में समितियाँ, कीटनाशक फर्म, फसल उत्पादक संस्थाएँ, स्वयं-सहायता समूह, गैर-सरकारी संगठन एवं अन्य।
- 4) कारपोरेट फार्म।

4.3 बीमा इकाई

अधिसूचित फसलों हेतु बीमा की इकाई ग्राम पंचायत/तहसील रहेगी। अधिसूचित फसलों की वर्गवारी तथा बीमा की इकाई तालिका 1 में वर्णित है।

4.4 प्रीमियम अनुदान एवं प्रीमियम अनुदान की हिस्सेदारी

प्रीमियम दर की गणना वास्तविक आधार पर मानक प्रीमियम दर विधि (स्टैंडर्ड प्रीमियम रेटिंग मेथेडोलोजी) का उपयोग कर की गई है। अनिवार्य आवरण अथवा श्रेषहोल्ड उपज के मूल्य तक, ऋणी कृषक हेतु जो भी अधिक हो, और श्रेषहोल्ड उपज के मूल्य तक अऋणी कृषकों को प्रीमियम में अनुदान दिया जावेगा। वास्तविक प्रीमियम (कुल) तथा कृषक द्वारा देय प्रीमियम राशि के अन्तर की राशि राज्य सरकार तथा केन्द्र सरकार द्वारा 50:50 के अनुपात में अनुदान के रूप में परिशिष्ट-1 के अनुसार वहन किया जायेगा। (फसलवार, क्षेत्रवार ब्यौरा परिशिष्ट-2 में दिया गया है।) साथ ही राज्य सरकार द्वारा बीमा कम्पनी को प्रीमियम राशि में अनुदान का हिस्सा अग्रिम तौर पर दिया जावेगा, जो कि मौसम के आरंभ में, जो न्याय-संगत अनुमान के आधार पर होगा।

4.5 बीमित राशि की सीमाएँ तथा आवरण

4.5.1 ऋणी कृषक (अनिवार्य आधार पर) :

क) अनिवार्य आवरण : बीमित राशि व्यक्तिगत कृषक जो अधिसूचित फसल के लिए जोत के अन्तर्गत रकबों की घोषणा (हेक्टेयर में)/जैसे ऋण आवेदन में उल्लेखित किया गया तथा अनिवार्य आवरण बीमित राशि प्रति हेक्टेयर अधिसूचना के परिशिष्ट -2 में दर्शाएँ अनुसार रहेगी।

ख) अतिरिक्त आवरण : यदि श्रेषहोल्ड उपज मूल्य प्रति हेक्टेयर से अनुमोदित साख सीमा कम है तो कृषक परिशिष्ट -2 के अनुसार अतिरिक्त आवरण जो कि श्रेषहोल्ड उपज के मूल्य तक के अनुसार बीमा कर सकता है। जिस बैंक में कृषक द्वारा अनिवार्य आवरण का बीमा किया गया हो वहाँ अतिरिक्त आवरण हेतु प्रस्ताव पत्र देना होगा। अतिरिक्त आवरण हेतु कृषक द्वारा प्रस्तावित रकबे का उल्लेख करना होगा। ऐसे ऋणी कृषकों के लिए प्रस्ताव पत्र दाखिल करने की अंतिम तिथियाँ अऋणी कृषकों की तरह ही रहेगी।

यदि, श्रेषहोल्ड उपज मूल्य प्रति हेक्टेयर से अनिवार्य आवरण की बीमित राशि अधिक हो तो ऐसी स्थिति में अतिरिक्त आवरण उपलब्ध नहीं रहेगा (अनुदान के साथ)।

ग) यदि प्रति हेक्टेयर अनिवार्य आवरण बीमित राशि औसत उपज मूल्य के 150 प्रतिशत से अधिक हो तो विस्तारित आवरण उपलब्ध नहीं रहेगा।

घ) यदि प्रति हेक्टेअर अनिवार्य आवरण बीमित राशि औसत उपज मूल्य के 150 प्रतिशत से कम हो तो औसत उपज मूल्य के 150 प्रतिशत और अनिवार्य आवरण बीमित राशि के अन्तर के लिए विस्तारित आवरण उपलब्ध रहेगा।

परिशिष्ट -2 के अनुसार कृषक विस्तारित आवरण ले सकता है किन्तु उन्हें विस्तारित आवरण के अन्तर्गत प्रस्तावित रकबे का उल्लेख करना होगा। अतिरिक्त आवरण लेने वाले ऋणी कृषकों को प्रस्ताव पत्र जमा करने की अंतिम तिथियाँ, अऋणी कृषक हेतु निर्धारित की गई अंतिम तिथियों के अनुसार ही लागू होगी। विस्तारित आवरण के लिए वास्तविक प्रीमियम दरें परिशिष्ट -2 के अनुसार देय होगी।

4.5.2 अऋणी कृषक (ऐच्छिक आधार पर) :

जो कृषक अधिसूचित मौसम के अन्तर्गत अधिसूचित क्षेत्र की अधिसूचित फसल हेतु योजना में सम्मिलित होना चाहते हो और जो ऋणी कृषक के अन्तर्गत कवर नहीं किए गए हो ऐसे कृषक एक प्रस्ताव पत्र एवं प्रीमियम राशि के साथ नजदीकी बैंक शाखा अथवा अधिकृत चैनल पार्टनर अथवा बीमा कंपनी के बीमा मध्यस्थों की माध्यम से निर्धारित अंतिम तिथि के भीतर बीमा कर सकते हैं, किन्तु उस बैंक में कृषक का खाता होना जरूरी है।

क) साधारण आवरण : परिशिष्ट -2 के अनुसार थ्रेशहोल्ड उपज मूल्य तक साधारण आवरण माना जावेगा। कृषक द्वारा देय शुद्ध प्रीमियम दर परिशिष्ट -2 के अनुसार रहेगी। साधारण आवरण के अन्तर्गत प्रस्तावित रकबा कृषक द्वारा प्रस्ताव पत्र में उल्लेख करना होगा।

ख) विस्तारित आवरण : औसत उपज मूल्य के 150 प्रतिशत और थ्रेशहोल्ड उपज मूल्य के अंतर के लिए विस्तारित आवरण है। इस आवरण के अन्तर्गत प्रस्तावित रकबा कृषक द्वारा प्रस्ताव पत्र में उल्लेख करना होगा।

4.6 मौसम अनुशासन

खरीफ 2011 मौसम के अन्तर्गत विभिन्न फसलों हेतु मौसम अनुशासन (अंतिम तिथियाँ) निम्नानुसार लागू रहेगी :

गतिविधि	अंतिम अवधि/तिथि
अनिवार्य आवरण के अन्तर्गत ऋणी कृषकों के लिए ऋण अवधि (अनुमोदित ऋण)	31 जुलाई 2011 तक
बैंक/समितियों द्वारा अऋणी कृषक के प्रस्ताव पत्र प्राप्त करने की अंतिम तिथि	31 जुलाई 2011
बीमा कम्पनी द्वारा बैंकों से ऋणी कृषक के घोषणापत्र प्राप्त करने की अंतिम तिथि	30 सितम्बर 2011
बीमा कम्पनी द्वारा बैंकों से अऋणी कृषक के घोषणापत्र प्राप्त करने की अंतिम तिथि	30 सितम्बर 2011
बीमा कम्पनी द्वारा मध्यस्थों से अऋणी कृषक के घोषणापत्र प्राप्त करने की अंतिम तिथि	31 जुलाई 2011 तक
औसत उपज के आंकड़े प्राप्त करने की अंतिम तिथि	प्राथमिक तौर पर अंतिम फसल कटाई से एक माह के भीतर।

4.7 आवरण प्रक्रिया

4.7.1 ऋणी कृषक (अनिवार्य बीमा):

वर्तमान में राष्ट्रीय कृषि बीमा योजनान्तर्गत प्रयोग हो रही नोडल बैंक पद्धति का प्रयोग संशोधित राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना के लिये भी किया जायेगा। सभी वणिज्यिक बैंक (निजी बैंकों सहित), जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक जो कि अधिसूचित मौसम में अधिसूचित फसल के लिये अधिसूचित बीमित इकाई क्षेत्र में फसल ऋण स्वीकृत/वितरित कर रहे हैं वह सभी संशोधित राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना के अन्तर्गत अनिवार्य रूप से बीमा करें।

ऋणी कृषकों के लिये परिचालन पद्धतियां वर्तमान राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना के अनुसार रहेगी। सभी बैंक किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से अधिसूचित क्षेत्र में अधिसूचित फसलों के लिये वितरित फसल ऋण का बीमा अनिवार्य रूप से मौसम अनुशासन के अनुसार करेंगी।

सभी फसल ऋण वितरित करने वाली बैंक शाखा/प्राथमिक कृषि सहकारी समिति प्रत्येक अधिसूचित क्षेत्र के लिये एक प्रीमियम रजिस्टर तैयार करेंगे जिसमें कृषक का नाम, फसल ऋण खाता संख्या, फसलवार बीमित क्षेत्र, फसलवार अनिवार्य बीमित राशि एवं प्रीमियम राशि का उल्लेख करेंगे।

बैंक शाखा बीमा के लिये अधिसूचित क्षेत्र में अधिसूचित फसल के लिये कृषक द्वारा ऋण आवेदन पत्र में घोषित रकबा अथवा कृषक द्वारा वास्तविक बोया गया क्षेत्रफल का प्रयोग किया जायेगा।

वह ऋणी कृषक जो अनिवार्य बीमित राशि से अधिक का बीमा आवरण चाहते हैं, ऐसे कृषकों के लिये बैंक द्वारा तैयार किये गये प्रीमियम रजिस्टर में फसलवार बीमित क्षेत्र, बीमित राशि एवं अतिरिक्त आवरण अन्तर्गत प्रीमियम राशि तथा फसलवार बीमित क्षेत्र, बीमित राशि एवं विस्तारित बीमा आवरण अन्तर्गत प्रीमियम राशि का अलग से उल्लेख किया जायेगा।

बैंक शाखा द्वारा तैयार किये गये प्रीमियम रजिस्टर के आधार पर बैंक शाखा उस माह में स्वीकृत फसल ऋण का एक मासिक संघटित व्यौरा तैयार करेगी जिसमें फसलवार, बीमित इकाईवार फसल बीमा की जानकारी, बीमा प्रीमियम राशि के साथ अपने नोडल बैंक कार्यालय को 15 दिनों के भीतर भेज देंगे।

बैंक शाखा/प्राथमिक कृषि सहकारी समिति बीमा प्रीमियम कंपोनेंट जो कि संशोधित राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना में बीमा प्रीमियम भुगतान हेतु आवश्यक है, कृषक को स्वीकृत ऋण सीमा से अतिरिक्त ऋण वितरण करेंगे।

ऐसे फसल ऋण जो कि सोना/आभूषण के बदले में लिये गये हैं, अधिसूचित क्षेत्र व फसल के लिये है, तथा मौसम अनुशासन का पालन करते हैं, वह भी योजन्तर्गत अनिवार्य बीमा आवरण के लिये पात्र हैं।

ऋणी कृषक के लिये बीमित राशि कृषक द्वारा घोषित जोत के अन्तर्गत अधिसूचित फसल के लिये रकबा (हेक्टेयर में) एवं अधिसूचना के परिशिष्ट- 2 में दर्शायी गई अनिवार्य बीमित राशि के गुणांक के बराबर होगी।

नोडल बैंक कार्यालय बैंक शाखाओं/प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों से प्राप्त जानकारी को माहवार, अधिसूचित क्षेत्रवार, फसलवार, घोषणा-पत्र तैयार कर बीमा कंपनी को प्रीमियम राशि के बैंक चेक/डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से अधिसूचना में घोषित फसलों एवं मौसम की अंतिम तिथियों के अनुरूप ऋणी कृषकों के घोषणा-पत्र प्रेषित करेंगे।

अतिरिक्त/विस्तारित आवरण वाले घोषणा-पत्रों को अधिसूचना के अनुसार घोषित अऋणी कृषकों की अंतिम तिथियों के भीतर ही बीमा कंपनी द्वारा स्वीकार किया जायेगा।

4.7.2 अऋणी कृषकों के लिये आवरण प्रक्रिया :

1. अऋणी कृषक का अपने क्षेत्र के सहकारी बैंक/वाणिज्यिक बैंक/क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक में बचत खाता होना अनिवार्य है।

2. अन्नदानी कृषक द्वारा पूर्ण रूप से भरा प्रस्ताव-पत्र, भूमि स्वामित्व के दस्तावेज की प्रतिलिपि एवं अपेक्षित प्रीमियम राशि बैंक में जमा करनी होगी। अन्नदानी कृषक को बीमित फसल का उगाई प्रमाण-पत्र संबंधित जिले के राजस्व/कृषि विभाग के अधिकारी से प्राप्त कर प्रस्तुत करना होगा।
3. अन्नदानी कृषक अपनी फसल का बीमा बैंकों के अलावा बीमा मध्यस्थ एवं बीमा कम्पनी के अधिकृत एजेंट से करा सकते हैं।

4.8 क्षतिपूर्ति के निर्धारण की विभिन्न पद्धतियां :

बीमित फसल की क्षतिपूर्ति का आंकलन निम्नलिखित क्षतिपूर्ति पद्धतियों के आधार पर किया जायेगा जो कि योजना की परिचालन पद्धतियों (Operational Guidelines) के अनुरूप हैं।

4.8.1. फसल पैदावार के आधार पर/व्यापक आपदा के मामले में (क्षेत्र आधारित) :

फसल कटाई के पश्चात् राज्य शासन द्वारा प्रस्तुत किये गये वास्तविक उपज के आंकड़ों के आधार पर। गंभीर आपदा होने पर 25 प्रतिशत तक की संभावित क्षतिपूर्ति राशि का भुगतान मौसम के दौरान किया जा सकता है।

4.8.2 बुवाई नहीं हो पाने की स्थिति/बुवाई का फेल हो जाना (Prevented Sowing/

Sowing Failure) (क्षेत्र आधारित): यदि प्रदेश/एस.एल.सी.सी.आई. (प्राथमिक मौसम संकेतको के अनुमान, क्षेत्र गणना, उपग्रह से प्राप्त चित्रों के आधार पर) यह निर्णय लेती है कि बीमित इकाई के अधिकांश क्षेत्र में बुवाई नहीं हो सकी या बुवाई नष्ट हो गई तो ऐसी स्थिति में बीमित राशि के 25 प्रतिशत का भुगतान किया जायेगा। यदि इस आपदा के लिये क्षतिपूर्ति भुगतान किया जाता है, तो तत्पश्चात् बीमा आवरण उस फसल हेतु आगे के मौसम के लिये समाप्त माना जायेगा।

यदि मौसम के दौरान लगभग पूर्ण क्षतिपूर्ति की स्थिति उत्पन्न होती है, (किसी स्तर पर फसल चक्र की सम्पूर्ण लागत मूल्य को वहन नहीं किया गया हो) तो क्षतिपूर्ति का भुगतान 'graded scale' के आधार पर किया जायेगा।

चालू मौसम के दौरान क्षतिपूर्ति राशि का भुगतान किया जा सकता है यदि प्राथमिक मौसम संकेतको से यह सिद्ध हो जाता है कि फसल की अपेक्षित उपज सामान्य उपज के 50 प्रतिशत से भी कम होगी।

4.8.3.स्थानीय आपदाओं के मामले में क्षति का आकलन : स्थानीय जोखिमों यथा ओलावृष्टि एवं भूस्खलन के मामलों में पृथक आधार (व्यक्तिगत आधार) पर क्षति संबंधी आंकलन किया जायेगा इन स्थानिक जोखिमों के कारण जिन बीमित किसानों को फसल की हानि होती है, वे वित्तीय संस्था/कार्यान्वयक एजेन्सी के क्षेत्रीय कार्यालय/जिला कृषि विभाग को तत्काल और अनिवार्य रूप से 48 घंटे के भीतर बीमित फसल के ब्यौरे, क्षति की मात्रा तथा क्षति के कारण सहित सूचित करेंगे। हानि संबंधी सूचना मिलने पर कार्यान्वयक एजेन्सी फसल की हानि का अनुमान लगाने के लिये क्षेत्र में हानि निर्धारक/Technical Personnel of the Company, को भेजेगी। ग्राम पंचायत में कृषि विभाग एवं राजस्व विभाग फसल की हानि की मात्रा का अनुमान लगाने में कार्यान्वयक एजेन्सी की सहायता करेगा।

4.9 बैंकों के लिये सेवा शुल्क

नोडल बैंकों को कृषक द्वारा प्रेषित प्रीमियम राशि पर 2.50 प्रतिशत की दर से सेवा शुल्क का भुगतान किया जायेगा।

4.10 विभिन्न एजेन्सियों की भूमिका

विभिन्न एजेन्सियों जैसे राज्य शासन, नोडल बैंक, बीमा कंपनी एवं कृषकों की भूमिका एवं दायित्वों का विवरण भारत सरकार द्वारा जारी योजना की परिचालन पद्धतियों में दिया गया है। आई.सी.आई.सी.आई. लोम्बार्ड जनरल इन्श्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड/ इफ्को टोक्यो जनरल इन्श्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड को बीमे की कार्यवाही ए.आई.सी. के अनुरूप बैंकों के माध्यम से करना होगी।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एच. बी. एस. भदोरिया, उपसचिव.

संशोधित राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना (MNAIS): क्षतिपूर्ति स्तर की गणना, श्रेषहोल्ड उपज, वास्तविक प्रीमियम दर एवं प्रीमियम अनुदान की गणना के संबंध में संक्षिप्त टिप्पणी।

1). क्षतिपूर्ति स्तर

संशोधित राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना के अन्तर्गत बीमा कंपनी द्वारा निर्धारित किये गये जोखिम के तीन स्तर 70, 80 एवं 90 प्रतिशत हैं जो कि उच्च, मध्यम एवं कम जोखिम को दर्शाते हैं। योजना के अन्तर्गत सुधारित विशेषताएं तथा बीमांकक द्वारा दिये गये सुझाव के आधार पर क्षतिपूर्ति स्तर हानि मूल्य (कुल क्षतिपूर्ति जो कुल बीमित राशि का प्रतिशत है) का आंकलन किया जायेगा। जोखिम स्तर का निर्धारण जिले की फसल की पिछले 10 वर्षों की औसत उपज के बिखराव (variability) आंकड़ों के आधार पर होगा।

2). श्रेषहोल्ड उपज

संशोधित राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना में यह प्रावधान है कि किसी फसल के लिये श्रेषहोल्ड उपज या गारन्टीड उपज पिछले सात वर्षों की औसत उपज के आंकड़ों के आधार पर, जिनमें से अधिकतम दो वर्ष जहां पर सरकार/प्राधिकृत अधिकारी द्वारा प्राकृतिक आपदा घोषित की गई हो, को छोड़कर क्षतिपूर्ति स्तर से गुणा कर निकाली जाएगी। हांलाकि यह सुनिश्चित करना होगा कि न्यूनतम पिछले पांच वर्षों के उपज के आंकड़ें श्रेषहोल्ड उपज की गणना के लिये उपलब्ध हो। संशोधित रा.कृ.बी.यो. में यह प्रावधान है कि मुख्य फसलों के लिये बीमा इकाई गांव/ग्राम पंचायत होगी। हांलाकि ऐसे अनेक उदाहरण हैं कि जहां गांव/ग्राम पंचायत स्तर के विगत वर्षों के उपज के आंकड़ें उपलब्ध नहीं हैं। ऐसी स्थिति में गांव/ग्राम पंचायत स्तर पर श्रेषहोल्ड उपज की गणना के लिए उच्च बीमा इकाई अथवा उच्च बीमा इकाई एवं गांव/ग्राम पंचायत स्तर के आंकड़ों का संयुक्त औसत जहाँपर गांव/ग्राम पंचायत स्तर के कुछ वर्षों के आंकड़ें उपलब्ध हैं। उपरोक्त के अनुसार उपज प्राप्त होने पर श्रेषहोल्ड उपज की गणना जोखिम स्तर से गुणा कर की जावेगी।

3). वास्तविक प्रीमियम दर : संशोधित राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना के अन्तर्गत वास्तविक प्रीमियम दर की गणना 'अनुभव मूल्यांकन' तथा विगत 10 वर्षों के क्षतिपूर्ति अनुभव के आधार, यदि ऐसा होने पर, की जावेगी। शुद्ध प्रीमियम दर की गणना योजनान्तर्गत विभिन्न अतिरिक्त लाभ के अलावा क्षतिपूर्ति अनुभव, यदि ऐसा होने पर, का समायोजन करते हुए की जावेगी एवं कारोबार व्यय, वित्तीय लागत, पुनर्बीमा आदि पर होने वाले व्यय को ध्यान में रखते हुए वास्तविक एवं वाणिज्यिक प्रीमियम दर की गणना की गई है।

4). प्रीमियम अनुदान की गणना : संशोधित राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना के अन्तर्गत कृषक को प्रीमियम अनुदान निम्न तालिका अनुसार किया जावेगा।

क्र.	प्रीमियम स्तर	कृषकों को प्रीमियम अनुदान
1	2 प्रतिशत तक	नहीं
2	> 2 से 5 प्रतिशत	40 प्रतिशत किन्तु नेट प्रीमियम का न्यूनतम 2 प्रतिशत
3	> 5 से 10 प्रतिशत	50 प्रतिशत किन्तु नेट प्रीमियम का न्यूनतम 3 प्रतिशत
4	> 10 से 15 प्रतिशत	60 प्रतिशत किन्तु नेट प्रीमियम का न्यूनतम 5 प्रतिशत
5	> 15 प्रतिशत	75 प्रतिशत किन्तु नेट प्रीमियम का न्यूनतम 6 प्रतिशत

नेट प्रीमियम से अभिप्राय है कृषक द्वारा वहन की जाने वाली प्रीमियम दर जो कि प्रीमियम अनुदान का हिस्सा निकालने के बाद शेष बची राशि होगी।

परिशिष्ट : 2

संशोधित राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना (पायलट) खरीफ 2011

क्रियान्वयन ऐजन्सी :- एग्रीकल्चर इंश्योरेन्स कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड

तहसील स्तर - बीमित राशि एवं प्रीमियम दर - तहसील - दतिया, जिला दतिया

क्षतिपूर्ति स्तर, बीमित राशि एवं प्रीमियम दर का विवरण DETAIL OF INDEMNITY LEVEL, SUM INSURED AND PREMIUM RATES						
अधिसूचित फसल Notified Crop	क्षतिपूर्ति स्तर % Level of Indemnity %	सामान्य आवरण प्रति हेक्टेयर (श्रेषहोल्ड उपज के मूल्य तक) Normal Coverage per Hectare (upto value of Threshold Yield)		अतिरिक्त आवरण प्रति हेक्टेयर (श्रेषहोल्ड उपज के मूल्य से अधिक लेकिन औसत उपज के 150% के मूल्य तक) Additional Coverage per Hectare (beyond Threshold Yield and upto 150% of Average Yield)		प्रति हेक्टेयर बीमित राशि की सीमा (रु.) Total Sum Insured per Hectare (Rs.)
		बीमित राशि (रु.) Sum Insured (Rs.)	कृषक द्वारा देय प्रीमियम दर (प्रतिशत में) Premium Rate Payable by Farmer (in %)	बीमित राशि (रु.) Sum Insured (Rs.)	वास्तविक प्रीमियम दर (प्रतिशत में) Actuarial Premium Rate (in %)	
1	2	3	4	5	6	7
मूंगफली	70	10879	3.05	12409	6.10	23288
तिल	70	8091	4.15	9222	8.30	17313
ज्वार	70	4824	4.32	5517	10.80	10341
मक्का	70	6116	3.75	6990	7.5	13106
धान सिंचित	70	8008	3.00	9153	6.00	17161

टीप : ऋणी कृषकों के लिए पूर्ण वितरित ऋण राशि पर निश्चित प्रीमियम दर पर ही प्रीमियम लिया जाएगा।

संशोधित राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना (पायलट) खरीफ 2011

क्रियान्वयन एजन्सी :- एग्रीकल्चर इश्योरेन्स कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड

तहसील स्तर - बीमित राशि एवं प्रीमियम दर-तहसील- सेवदा, जिला दतिया

क्षतिपूर्ति स्तर, बीमित राशि एवं प्रीमियम दर का विवरण						
DETAIL OF INDEMNITY LEVEL, SUM INSURED AND PREMIUM RATES						
अधिसूचित फसल Notified Crop	क्षतिपूर्ति स्तर % Level of Indemnity %	सामान्य आवरण प्रति हेक्टेयर (श्रेषहोल्ड उपज के मूल्य तक) Normal Coverage per Hectare (upto value of Threshold Yield)		अतिरिक्त आवरण प्रति हेक्टेयर (श्रेषहोल्ड उपज के मूल्य से अधिक लेकिन औसत उपज के 150% के मूल्य तक) Additional Coverage per Hectare (beyond Threshold Yield and upto 150% of Average Yield)		प्रति हेक्टेयर बीमित राशि की सीमा (रु.) Total Sum Insured per Hectare (Rs.)
		बीमित राशि (रु.) Sum Insured (Rs.)	कृषक द्वारा देय प्रीमियम दर (प्रतिशत में) Premium Rate Payable by Farmer (in %)	बीमित राशि (रु.) Sum Insured (Rs.)	वास्तविक प्रीमियम दर (प्रतिशत में) Actuarial Premium Rate (in %)	
1	2	3	4	5	6	7
मूंगफली	70	10879	3.05	12409	6.10	23288
तिल	70	8091	4.15	9222	8.30	17313
ज्वार	70	4824	4.32	5517	10.80	10341
मक्का	70	6116	3.75	6990	7.5	13106
धान सिंचित	70	8008	3.00	9153	6.00	17161

टीप : ऋणी कृषकों के लिए पूर्ण वितरित ऋण राशि पर निश्चित प्रीमियम दर पर ही प्रीमियम लिया जाएगा।

परिशिष्ट : 2

संशोधित राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना (पायलट) खरीफ 2011

क्रियान्वयन एजन्सी :- एग्रीकल्चर इश्योरेन्स कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड

तहसील स्तर - बीमित राशि एवं प्रीमियम दर-तहसील- भांडेर, जिला दतिया

क्षतिपूर्ति स्तर, बीमित राशि एवं प्रीमियम दर का विवरण DETAIL OF INDEMNITY LEVEL, SUM INSURED AND PREMIUM RATES						
अधिसूचित फसल Notified Crop	क्षतिपूर्ति स्तर % Level of Indemnity %	सामान्य आवरण प्रति हेक्टेयर (थ्रेशहोल्ड उपज के मूल्य तक) Normal Coverage per Hectare (upto value of Threshold Yield)		अतिरिक्त आवरण प्रति हेक्टेयर (थ्रेशहोल्ड उपज के मूल्य से अधिक लेकिन औसत उपज के 150% के मूल्य तक) Additional Coverage per Hectare (beyond Threshold Yield and upto 150% of Average Yield)		प्रति हेक्टेयर बीमित राशि की सीमा (रु.) Total Sum Insured per Hectare (Rs.)
		बीमित राशि (रु.) Sum Insured (Rs.)	कृषक द्वारा देय प्रीमियम दर (प्रतिशत में) Premium Rate Payable by Farmer (in %)	बीमित राशि (रु.) Sum Insured (Rs.)	वास्तविक प्रीमियम दर (प्रतिशत में) Actuarial Premium Rate (in %)	
1	2	3	4	5	6	7
मूंगफली	70	10879	3.05	12409	6.10	23288
तिल	70	8091	4.15	9222	8.30	17313
ज्वार	70	4824	4.32	5517	10.80	10341
मक्का	70	6116	3.75	6990	7.5	13106
धान सिंचित	70	8008	3.00	9153	6.00	17161

टीप : ऋणी कृषकों के लिए पूर्ण वितरित ऋण राशि पर निश्चित प्रीमियम दर पर ही प्रीमियम लिया जाएगा।

संशोधित राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना (पायलट) खरीफ 2011

क्रियान्वयन एजन्सी :- एग्रीकल्चर इंश्योरेन्स कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड

तहसील स्तर-बीमित राशि एवं प्रीमियम दर-तहसील-इन्दरगढ, जिला दतिया

क्षतिपूर्ति स्तर, बीमित राशि एवं प्रीमियम दर का विवरण DETAIL OF INDEMNITY LEVEL, SUM INSURED AND PREMIUM RATES						
अधिसूचित फसल Notified Crop	क्षतिपूर्ति स्तर % Level of Indemnity %	सामान्य आवरण प्रति हेक्टेयर (श्रेषहोल्ड उपज के मूल्य तक) Normal Coverage per Hectare (upto value of Threshold Yield)		अतिरिक्त आवरण प्रति हेक्टेयर (श्रेषहोल्ड उपज के मूल्य से अधिक लेकिन औसत उपज के 150% के मूल्य तक) Additional Coverage per Hectare (beyond Threshold Yield and upto 150% of Average Yield)		प्रति हेक्टेयर बीमित राशि की सीमा (रु.) Total Sum Insured per Hectare (Rs.)
		बीमित राशि (रु.) Sum Insured (Rs.)	कृषक द्वारा देय प्रीमियम दर (प्रतिशत में) Premium Rate Payable by Farmer (in %)	बीमित राशि (रु.) Sum Insured (Rs.)	वास्तविक प्रीमियम दर (प्रतिशत में) Actuarial Premium Rate (in %)	
1	2	3	4	5	6	7
मूंगफली	70	10879	3.05	12409	6.10	23288
तिल	70	8091	4.15	9222	8.30	17313
ज्वार	70	4824	4.32	5517	10.80	10341
मक्का	70	6116	3.75	6990	7.5	13106
धान सिंचित	70	8008	3.00	9153	6.00	17161

टीप : ऋणी कृषकों के लिए पूर्ण वितरित ऋण राशि पर निश्चित प्रीमियम दर पर ही प्रीमियम लिया जाएगा।

परिशिष्ट : 2

संशोधित राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना (पायलट) – खरीफ 2011

क्रियान्वयन एजन्सी :- आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जनरल इश्योरेन्स कंपनी लिमिटेड

तहसील स्तर-बीमित राशि एवं प्रीमियम दर-तहसील –विजयपुर,जिला श्योपुर

क्षतिपूर्ति स्तर, बीमित राशि एवं प्रीमियम दर का विवरण						
DETAIL OF INDEMNITY LEVEL, SUM INSURED AND PREMIUM RATES						
अधिसूचित फसल Notified Crop	क्षतिपूर्ति स्तर % Level of Indemnity %	सामान्य आवरण प्रति हेक्टेयर (थ्रेशहोल्ड उपज के मूल्य तक) Normal Coverage per Hectare (upto value of Threshold Yield)		अतिरिक्त आवरण प्रति हेक्टेयर (थ्रेशहोल्ड उपज के मूल्य से अधिक लेकिन औसत उपज के 150% के मूल्य तक) Additional Coverage per Hectare (beyond Threshold Yield and upto 150% of Average Yield)		प्रति हेक्टेयर बीमित राशि की सीमा (रु.) Total Sum Insured per Hectare (Rs.)
		बीमित राशि (रु.) Sum Insured (Rs.)	कृषक द्वारा देय प्रीमियम दर (प्रतिशत में) Premium Rate Payable by Farmer (in %)	बीमित राशि (रु.) Sum Insured (Rs.)	वास्तविक प्रीमियम दर (प्रतिशत में) Actuarial Premium Rate (in %)	
1	2	3	4	5	6	7
बाजरा	70	9910	3.465	11326	6.93	21236
मक्का	70	5160	4.685	5897	9.37	11057
सोयाबीन	70	12420	3.245	14194	6.49	26614
धान	70	17510	3.325	20011	6.65	37521
तुअर	70	12653	6.250	14461	12.50	27114
तिल	80	9365	3.100	8194	6.20	17559
ज्वार	70	7550	4.020	8629	8.04	16179

टीप : ऋणी कृषकों के लिए पूर्ण वितरित ऋण राशि पर निश्चित प्रीमियम दर पर ही प्रीमियम लिया जाएगा।

संशोधित राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना (पायलट) – खरीफ 2011

क्रियान्वयन एजन्सी :- आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जनरल इश्योरेन्स कंपनी लिमिटेड

तहसील स्तर-बीमित राशि एवं प्रीमियम दर-तहसील-वीरपुर, जिला श्योपुर

क्षतिपूर्ति स्तर, बीमित राशि एवं प्रीमियम दर का विवरण DETAIL OF INDEMNITY LEVEL, SUM INSURED AND PREMIUM RATES						
अधिसूचित फसल Notified Crop	क्षतिपूर्ति स्तर % Level of Indemnity %	सामान्य आवरण प्रति हेक्टेयर (श्रेषहोल्ड उपज के मूल्य तक) Normal Coverage per Hectare (upto value of Threshold Yield)		अतिरिक्त आवरण प्रति हेक्टेयर (श्रेषहोल्ड उपज के मूल्य से अधिक लेकिन औसत उपज के 150% के मूल्य तक) Additional Coverage per Hectare (beyond Threshold Yield and upto 150% of Average Yield)		प्रति हेक्टेयर बीमित राशि की सीमा (रु.) Total Sum Insured per Hectare (Rs.)
		बीमित राशि (रु.) Sum Insured (Rs.)	कृषक द्वारा देय प्रीमियम दर (प्रतिशत में) Premium Rate Payable by Farmer (in %)	बीमित राशि (रु.) Sum Insured (Rs.)	वास्तविक प्रीमियम दर (प्रतिशत में) Actuarial Premium Rate (in %)	
1	2	3	4	5	6	7
बाजरा	70	9910	3.465	11326	6.93	21236
मक्का	70	5160	4.685	5897	9.37	11057
सोयाबीन	70	12420	3.245	14194	6.49	26614
धान	70	17510	3.325	20011	6.65	37521
तुअर	70	12653	6.250	14461	12.50	27114
तिल	80	9365	3.100	8194	6.20	17559
ज्वार	70	7550	4.020	8629	8.04	16179

टीप : ऋणी कृषकों के लिए पूर्ण वितरित ऋण राशि पर निश्चित प्रीमियम दर पर ही प्रीमियम लिया जाएगा।

परिशिष्ट : 2

संशोधित राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना (पायलट) – रबी 2010-11

क्रियान्वयन एजन्सी :- आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जनरल इश्योरेन्स कंपनी लिमिटेड

तहसील स्तर – बीमित राशि एवं प्रीमियम दर – तहसील – श्योपुर, जिला श्योपुर

क्षतिपूर्ति स्तर, बीमित राशि एवं प्रीमियम दर का विवरण DETAIL OF INDEMNITY LEVEL, SUM INSURED AND PREMIUM RATES						
अधिसूचित फसल Notified Crop	क्षतिपूर्ति स्तर % Level of Indemnity %	सामान्य आवरण प्रति हेक्टेयर (थ्रेशहोल्ड उपज के मूल्य तक) Normal Coverage per Hectare (upto value of Threshold Yield)		अतिरिक्त आवरण प्रति हेक्टेयर (थ्रेशहोल्ड उपज के मूल्य से अधिक लेकिन औसत उपज के 150% के मूल्य तक) Additional Coverage per Hectare (beyond Threshold Yield and upto 150% of Average Yield)		प्रति हेक्टेयर बीमित राशि की सीमा (रु.) Total Sum Insured per Hectare (Rs.)
		बीमित राशि (रु.) Sum Insured (Rs.)	कृषक द्वारा देय प्रीमियम दर (प्रतिशत में) Premium Rate Payable by Farmer (in %)	बीमित राशि (रु.) Sum Insured (Rs.)	वास्तविक प्रीमियम दर (प्रतिशत में) Actuarial Premium Rate (in %)	
1	2	3	4	5	6	7
बाजरा	70	9910	3.465	11326	6.93	21236
मक्का	70	5160	4.685	5897	9.37	11057
सोयाबीन	70	15000	3.245	17143	6.49	32143
धान	70	11610	3.325	20011	6.65	37521
तुअर	70	12653	6.250	14461	12.50	27114
तिल	80	9365	3.100	8194	6.20	17559
ज्वार	70	7550	4.020	8629	8.04	16179

टीप : ऋणी कृषकों के लिए पूर्ण वितरित ऋण राशि पर निश्चित प्रीमियम दर पर ही प्रीमियम लिया जाएगा।

संशोधित राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना (पायलट) – रबी 2010-11

क्रियान्वयन एजन्सी :- आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जनरल इश्योरेन्स कंपनी लिमिटेड

तहसील स्तर – बीमित राशि एवं प्रीमियम दर – तहसील – बडौदा, जिला श्योपुर

क्षतिपूर्ति स्तर, बीमित राशि एवं प्रीमियम दर का विवरण DETAIL OF INDEMNITY LEVEL, SUM INSURED AND PREMIUM RATES						
अधिसूचित फसल Notified Crop	क्षतिपूर्ति स्तर % Level of Indemnity %	सामान्य आवरण प्रति हेक्टेयर (श्रेषहोल्ड उपज के मूल्य तक) Normal Coverage per Hectare (upto value of Threshold Yield)		अतिरिक्त आवरण प्रति हेक्टेयर (श्रेषहोल्ड उपज के मूल्य से अधिक लेकिन औसत उपज के 150% के मूल्य तक) Additional Coverage per Hectare (beyond Threshold Yield and upto 150% of Average Yield)		प्रति हेक्टेयर बीमित राशि की सीमा (रु.) Total Sum Insured per Hectare (Rs.)
		बीमित राशि (रु.) Sum Insured (Rs.)	कृषक द्वारा देय प्रीमियम दर (प्रतिशत में) Premium Rate Payable by Farmer (in %)	बीमित राशि (रु.) Sum Insured (Rs.)	वास्तविक प्रीमियम दर (प्रतिशत में) Actuarial Premium Rate (in %)	
1	2	3	4	5	6	7
बाजरा	70	9910	3.465	11326	6.93	21236
मक्का	70	5160	4.685	5897	9.37	11057
सोयाबीन	70	15000	3.245	17143	6.49	32143
धान	70	11610	3.325	20011	6.65	37521
तुअर	70	12653	6.250	14461	12.50	27114
तिल	80	9365	3.100	8194	6.20	17559
ज्वार	70	7550	4.020	8629	8.04	16179

टीप : ऋणी कृषकों के लिए पूर्ण वितरित ऋण राशि पर निश्चित प्रीमियम दर पर ही प्रीमियम लिया जाएगा।

परिशिष्ट : 2

संशोधित राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना (पायलट) – रबी 2010-11

क्रियान्वयन एजन्सी :- आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेन्स कंपनी लिमिटेड

तहसील स्तर-बीमित राशि एवं प्रीमियम दर – तहसील – कराहल, जिला श्यापुर

क्षतिपूर्ति स्तर, बीमित राशि एवं प्रीमियम दर का विवरण DETAIL OF INDEMNITY LEVEL, SUM INSURED AND PREMIUM RATES						
अधिसूचित फसल Notified Crop	क्षतिपूर्ति स्तर % Level of Indemnity %	सामान्य आवरण प्रति हेक्टेयर (थ्रेशहोल्ड उपज के मूल्य तक) Normal Coverage per Hectare (upto value of Threshold Yield)		अतिरिक्त आवरण प्रति हेक्टेयर (थ्रेशहोल्ड उपज के मूल्य से अधिक लेकिन औसत उपज के 150% के मूल्य तक) Additional Coverage per Hectare (beyond Threshold Yield and upto 150% of Average Yield)		प्रति हेक्टेयर बीमित राशि की सीमा (रु.) Total Sum Insured per Hectare (Rs.)
		बीमित राशि (रु.) Sum Insured (Rs.)	कृषक द्वारा देय प्रीमियम दर (प्रतिशत में) Premium Rate Payable by Farmer (in %)	बीमित राशि (रु.) Sum Insured (Rs.)	वास्तविक प्रीमियम दर (प्रतिशत में) Actuarial Premium Rate (in %)	
1	2	3	4	5	6	7
बाजरा	70	9910	3.465	11326	6.93	21236
मक्का	70	5220	4.685	5966	9.37	11186
सोयाबीन	70	13490	3.245	15417	6.49	28907
धान	70	11520	3.325	13166	6.65	24686
तुअर	70	12653	6.250	14461	12.50	27114
तिल	80	9365	3.100	8194	6.20	17559
ज्वार	70	7550	4.020	8629	8.04	16179

टीप : ऋणी कृषकों के लिए पूर्ण वितरित ऋण राशि पर निश्चित प्रीमियम दर पर ही प्रीमियम लिया जाएगा।

संशोधित राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना (पायलट) – रबी 2010-11

क्रियान्वयन एजन्सी :- इफ्को टोक्यो जनरल इन्श्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड

तहसील स्तर-बीमित राशि एवं प्रीमियम दर-तहसील – ग्वालियर, जिला ग्वालियर

क्षतिपूर्ति स्तर, बीमित राशि एवं प्रीमियम दर का विवरण DETAIL OF INDEMNITY LEVEL, SUM INSURED AND PREMIUM RATES						
अधिसूचित फसल Notified Crop	क्षतिपूर्ति स्तर % Level of Indemnity %	सामान्य आवरण प्रति हेक्टेयर (श्रेषहोल्ड उपज के मूल्य तक) Normal Coverage per Hectare (upto value of Threshold Yield)		अतिरिक्त आवरण प्रति हेक्टेयर (श्रेषहोल्ड उपज के मूल्य से अधिक लेकिन औसत उपज के 150% के मूल्य तक) Additional Coverage per Hectare (beyond Threshold Yield and upto 150% of Average Yield)		प्रति हेक्टेयर बीमित राशि की सीमा (रु.) Total Sum Insured per Hectare (Rs.)
		बीमित राशि (रु.) Sum Insured (Rs.)	कृषक द्वारा देय प्रीमियम दर (प्रतिशत में) Premium Rate Payable by Farmer (in %)	बीमित राशि (रु.) Sum Insured (Rs.)	वास्तविक प्रीमियम दर (प्रतिशत में) Actuarial Premium Rate (in %)	
1	2	3	4	5	6	7
बाजरा	70	7029	3.25	8033	6.50	15062
सोयाबीन	70	8408	4.75	9609	9.50	18017
धान	70	4397	4.00	5025	8.00	9422
तिल	70	6862	4.50	7842	9.00	14704
ज्वार	70	5520	3.75	6309	7.50	11829

टीप : ऋणी कृषकों के लिए पूर्ण वितरित ऋण राशि पर निश्चित प्रीमियम दर पर ही प्रीमियम लिया जाएगा।

परिशिष्ट : 2

संशोधित राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना (पायलट) – रबी 2010-11

क्रियान्वयन एजन्सी :- इफ्को टोक्यो जनरल इन्श्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड

तहसील स्तर-बीमित राशि एवं प्रीमियम दर – तहसील – डबरा, जिला ग्वालियर

क्षतिपूर्ति स्तर, बीमित राशि एवं प्रीमियम दर का विवरण						
DETAIL OF INDEMNITY LEVEL, SUM INSURED AND PREMIUM RATES						
अधिसूचित फसल Notified Crop	क्षतिपूर्ति स्तर % Level of Indemnity %	सामान्य आवरण प्रति हेक्टेयर (श्रेषहोल्ड उपज के मूल्य तक) Normal Coverage per Hectare (upto value of Threshold Yield)		अतिरिक्त आवरण प्रति हेक्टेयर (श्रेषहोल्ड उपज के मूल्य से अधिक लेकिन औसत उपज के 150% के मूल्य तक) Additional Coverage per Hectare (beyond Threshold Yield and upto 150% of Average Yield)		प्रति हेक्टेयर बीमित राशि की सीमा (रु.) Total Sum Insured per Hectare (Rs.)
		बीमित राशि (रु.) Sum Insured (Rs.)	कृषक द्वारा देय प्रीमियम दर (प्रतिशत में) Premium Rate Payable by Farmer (in %)	बीमित राशि (रु.) Sum Insured (Rs.)	वास्तविक प्रीमियम दर (प्रतिशत में) Acturial Premium Rate (in %)	
1	2	3	4	5	6	7
बाजरा	70	7029	3.25	8033	6.50	15062
सोयाबीन	70	8408	4.75	9609	9.50	18017
धान	70	4397	4.00	5025	8.00	9422
तिल	70	6862	4.50	7842	9.00	14704
ज्वार	70	5520	3.75	6309	7.50	11829

टीप : ऋणी कृषकों के लिए पूर्ण वितरित ऋण राशि पर निश्चित प्रीमियम दर पर ही प्रीमियम लिया जाएगा।

संशोधित राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना (पायलट) – रबी 2010-11

क्रियान्वयन एजन्सी :- इफ्को टोक्यो जनरल इन्श्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड

तहसील स्तर-बीमित राशि एवं प्रीमियम दर-तहसील – भितरवार, जिला ग्वालियर

क्षतिपूर्ति स्तर, बीमित राशि एवं प्रीमियम दर का विवरण DETAIL OF INDEMNITY LEVEL, SUM INSURED AND PREMIUM RATES						
अधिसूचित फसल Notified Crop	क्षतिपूर्ति स्तर % Level of Indemnity %	सामान्य आवरण प्रति हेक्टेयर (थ्रेशहोल्ड उपज के मूल्य तक) Normal Coverage per Hectare (upto value of Threshold Yield)		अतिरिक्त आवरण प्रति हेक्टेयर (थ्रेशहोल्ड उपज के मूल्य से अधिक लेकिन औसत उपज के 150% के मूल्य तक) Additional Coverage per Hectare (beyond Threshold Yield and upto 150% of Average Yield)		प्रति हेक्टेयर बीमित राशि की सीमा (रु.) Total Sum Insured per Hectare (Rs.)
		बीमित राशि (रु.) Sum Insured (Rs.)	कृषक द्वारा देय प्रीमियम दर (प्रतिशत में) Premium Rate Payable by Farmer (in %)	बीमित राशि (रु.) Sum Insured (Rs.)	वास्तविक प्रीमियम दर (प्रतिशत में) Actuarial Premium Rate (in %)	
1	2	3	4	5	6	7
बाजरा	70	7029	3.25	8033	6.50	15062
सोयाबीन	70	8408	4.75	9609	9.50	18017
धान	70	4397	4.00	5025	8.00	9422
तिल	70	6862	4.50	7842	9.00	14704
ज्वार	70	5520	3.75	6309	7.50	11829

टीप : ऋणी कृषकों के लिए पूर्ण वितरित ऋण राशि पर निश्चित प्रीमियम दर पर ही प्रीमियम लिया जाएगा।

परिशिष्ट : 2

संशोधित राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना (पायलट) – रबी 2010-11

क्रियान्वयन एजन्सी :- इफ्को टोक्यो जनरल इन्श्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड

तहसील स्तर – बीमित राशि एवं प्रीमियम दर – तहसील – चिन्नौर जिला ग्वालियर

क्षतिपूर्ति स्तर, बीमित राशि एवं प्रीमियम दर का विवरण DETAIL OF INDEMNITY LEVEL, SUM INSURED AND PREMIUM RATES						
अधिसूचित फसल Notified Crop	क्षतिपूर्ति स्तर % Level of Indemnity %	सामान्य आवरण प्रति हेक्टेयर (शेराहोल्ड उपज के मूल्य तक) Normal Coverage per Hectare (upto value of Threshold Yield)		अतिरिक्त आवरण प्रति हेक्टेयर (शेराहोल्ड उपज के मूल्य से अधिक लेकिन औसत उपज के 150% के मूल्य तक) Additional Coverage per Hectare (beyond Threshold Yield and upto 150% of Average Yield)		प्रति हेक्टेयर बीमित राशि की सीमा (रु.) Total Sum Insured per Hectare (Rs.)
		बीमित राशि (रु.) Sum Insured (Rs.)	कृषक द्वारा देय प्रीमियम दर (प्रतिशत में) Premium Rate Payable by Farmer (in %)	बीमित राशि (रु.) Sum Insured (Rs.)	वास्तविक प्रीमियम दर (प्रतिशत में) Actuarial Premium Rate (in %)	
1	2	3	4	5	6	7
बाजरा	70	7029	3.25	8033	6.50	15062
सोयाबीन	70	8408	4.75	9609	9.50	18017
धान	70	4397	4.00	5025	8.00	9422
तिल	70	6862	4.50	7842	9.00	14704
ज्वार	70	5520	3.75	6309	7.50	11829

टीप : ऋणी कृषकों के लिए पूर्ण वितरित ऋण राशि पर निश्चित प्रीमियम दर पर ही प्रीमियम लिया जाएगा।

परिशिष्ट : 3

संशोधित राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना (पायलट) फसल बीमा योजनान्तर्गत खरीफ 2011 हेतु
अधिसूचित किये जाने के लिये पटवारी हल्कावार फसलों की सूची

खरीफ 2011					100 हेक्टर या उससे अधिक क्षेत्रफल वाली चयनित फसलों की हल्कावार सूची					
जिले का नाम	तहसील का नाम	राजस्व निरीक्षक मण्डल का नाम	पटवारी हल्का नंबर	पटवारी मुख्यालय का नाम	धान सिंचित	धान असिंचित	सोयाबीन	तुअर	मक्का	बाजरा
दतिया	इन्दरगढ़	धीरपुरा	43	ररुआराय	धान सिंचित	--	--	--	--	--
			45	देगुवां	धान सिंचित	--	--	--	--	--
			47	झंजघनत	धान सिंचित	--	--	--	--	--
		इन्दरगढ़	24	इन्दरगढ़	धान सिंचित	--	--	--	--	--
		कुदारी	9	सेठारी	धान सिंचित	--	--	--	--	--
दतिया	उदगुवां		32	जिग्ना	--	--	--	--	मक्का	--
			33	सतारी	--	--	--	--	मक्का	--
			34	चट्टा	--	--	--	--	मक्का	--
			38	पलोथर	--	--	--	--	मक्का	--
			44	सनोरा	--	--	--	--	मक्का	--
			47	खमेरा	--	--	--	--	मक्का	--

परिशिष्ट : 3

संशोधित राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना (पायलट) फसल बीमा योजनान्तर्गत खरीफ 2011 हेतु अधिसूचित किये जाने के लिये पटवारी

वर्ष 2011-2012					100 हेक्टर या उससे अधिक क्षेत्रफलवाली चयनित फसलों की हल्कावार सूची					
जिला	तहसील	रा.नि.म.का नाम	पटवारी हल्का न.	पटवारी मुख्यालय का नाम	धान सिंचित	धान असिंचित	सोयाबीन	तुअर	मक्का	बाजरा
ग्वालियर	ग्वालियर									
		घाटीगांव								
			00018	सिमरियाटांका						
			00019	महारांमपुरा		-	-	-	-	बाजरा
			00023	पनिहार		-	-	-	-	बाजरा
			00027	पवा		-	-	-	-	बाजरा
			00031	लखनपुरा		-	-	-	-	बाजरा
		बेहट								
			00141	डबका		-	-	-	-	बाजरा
		मुरार								
			00095	जलालपुर	धानसिंचित	-	-	-	-	-
			00096	जम्हार	धानसिंचित	-	-	-	-	-
			00097	चेक रायपुर	धानसिंचित	-	-	-	-	-
			00098	भदरोली	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		मोहना								
			00001	बागवालागांव		-	-	-	-	बाजरा
			00002	जखोदा		-	-	-	-	बाजरा
			00003	रैहट		-	-	-	-	बाजरा
			00004	चराई श्यामपुर		-	-	-	-	बाजरा
			00005	दोरा		-	-	-	-	बाजरा
			00006	सहसारी		-	-	-	-	बाजरा
			00007	बडागांव	धानसिंचित	-	-	-	-	बाजरा
			00008	मोहना		-	-	-	-	बाजरा
			00009	उम्मेदगढ		-	-	-	-	बाजरा
			00010	बन्हेरी		-	-	-	-	बाजरा
			00011	करही		-	-	-	-	बाजरा
			00012	पाटई		-	-	-	-	बाजरा
			00013	बडकागांव		-	-	-	-	बाजरा
			00014	समराई		-	-	-	-	बाजरा
		रायरू								
			00 50	सुसेरा	धानसिंचित	-	-	-	-	-
			00033	कैथा		-	-	-	-	बाजरा
			00034	मैहदपुर		-	-	-	-	बाजरा
			00035	सीजना		-	-	-	-	बाजरा
			00042	कुलैथ		-	-	-	-	बाजरा
			00043	तिलघना		-	-	-	-	बाजरा
			00045	जिगसौली	धानसिंचित	-	-	-	-	-
			00046	पुरानी छावनी	धानसिंचित	-	-	-	-	-
			00047	मालनपुर	धानसिंचित	-	-	-	-	-
			00048	मिनावली	धानसिंचित	-	-	-	-	-
			00049	बरीआ नूराबाद	धानसिंचित	-	-	-	-	-
			00051	रायरू	धानसिंचित	-	-	-	-	-
			0052	रूदपुरा	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		सुपावली								
			00121	सुपावली		-	-	-	-	बाजरा
			00134	उटीला		-	-	-	-	बाजरा

चिनोर	आंतरी									
		00010	बड़की सराय	धानसिंचित	-	-	-	-	-	-
		00011	खैरवाया	धानसिंचित	-	-	-	-	-	-
		00012	पिपरी	धानसिंचित	-	-	-	-	-	-
		00013	भैंगना	धानसिंचित	-	-	-	-	-	-
		00014	कैथी	धानसिंचित	-	-	-	-	-	-
		00015	किशनपुर	धानसिंचित	-	-	-	-	-	-
		00016	भोरी	धानसिंचित	-	-	-	-	-	-
	चिनोर									
		00025	ककरथा	धानसिंचित	-	-	-	-	-	-
		00028	करहिया	धानसिंचित	-	-	-	-	-	-
		00029	ईटमा	धानसिंचित	-	-	-	-	-	-
		00030	मेहगांव	धानसिंचित	-	-	-	-	-	-
		00031	सिरसुला	धानसिंचित	-	-	-	-	-	-
		00032	किशोरगढ़	धानसिंचित	-	-	-	-	-	-
		00033	चीनौर	धानसिंचित	-	-	-	-	-	-
		00034	रूआ	धानसिंचित	-	-	-	-	-	-
		00035	घरसौदी	धानसिंचित	-	-	-	-	-	-
		00036	नौन की सराय	धानसिंचित	-	-	-	-	-	-
		00037	मैना	धानसिंचित	-	-	-	-	-	-
		00038	दौनी	धानसिंचित	-	-	-	-	-	-
		00039	दौलतपुर	धानसिंचित	-	-	-	-	-	-
		00040	पचौरा	धानसिंचित	-	-	-	-	-	-
	डबरा									
	छीमक									
		00061	मगरीरा	धानसिंचित	-	-	-	-	-	-
		00062	लोहगढ़	धानसिंचित	-	-	-	-	-	-
		00063	बरीठा	धानसिंचित	-	-	-	-	-	-
		00064	सातवई	धानसिंचित	-	-	-	-	-	-
		00066	महाराजपुर	धानसिंचित	-	-	-	-	-	-
		00067	रजियावर	धानसिंचित	-	-	-	-	-	-
		00068	अकबई छोटी	धानसिंचित	-	-	-	-	-	-
		00069	छीमक	धानसिंचित	-	-	-	-	-	-
		00070	सिरसा	धानसिंचित	-	-	-	-	-	-
		00071	खेडीरायमल	धानसिंचित	-	-	-	-	-	-
		00072	गोवरा	धानसिंचित	-	-	-	-	-	-
		00073	देवरा	धानसिंचित	-	-	-	-	-	-
		00074	कोसा	धानसिंचित	-	-	-	-	-	-
		00075	मिलधन	धानसिंचित	-	-	-	-	-	-
		00076	सर्वा	धानसिंचित	-	-	-	-	-	-
		00077	घिरीरा	धानसिंचित	-	-	-	-	-	-
		00078	झाडीली	धानसिंचित	-	-	-	-	-	-
		00079	करियावटी	धानसिंचित	-	-	-	-	-	-
		00080	जतरथी	धानसिंचित	-	-	-	-	-	-
		00081	जरावनी	धानसिंचित	-	-	-	-	-	-
		00082	नुन्हारी	धानसिंचित	-	-	-	-	-	-
	डबरा									
		00043	पठा पतिहार	धानसिंचित	-	-	-	-	-	-
		00044	समूदन	धानसिंचित	-	-	-	-	-	-
		00046	बोना	धानसिंचित	-	-	-	-	-	-
		00047	बेरु	धानसिंचित	-	-	-	-	-	-
		00048	चौभी	धानसिंचित	-	-	-	-	-	-
		00049	खडवई	धानसिंचित	-	-	-	-	-	-
		00050	बारील		-	-	-	-	सोयाबीन	-
		00052	सिमरियाताल	धानसिंचित	-	-	-	-	सोयाबीन	-
		00059	करा	धानसिंचित	-	-	-	-	-	-
		00060	चांदपुर	धानसिंचित	-	-	-	-	-	-

परिशिष्ट : 3

संशोधित राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना (पायलट) फसल बीमा योजनान्तर्गत खरीफ 2011 हेतु अधिसूचित किये जाने के लिये पटवारी हल्कावार फसलों की सूची

वर्ष 2011-2012				100 हेक्टर या उससे अधिक क्षेत्रफलवाली चयनित फसलों की हल्कावार सूची						
जिला	तहसील	रा.नि.म.का नाम	पटवारी हल्का न.	पटवारी मुख्यालय का नाम	धान सिंचित	धान असिंचित	सोयाबीन	तुअर	मक्का	बाजरा
श्यांपूर	कराहल	कराहल	00024	मोरावन	-	-	-	-	-	बाजरा
			00025	बासेड	-	-	-	-	-	बाजरा
			00026	सैसईपुरा	-	-	-	-	-	बाजरा
				00028	निमानिया	-	-	-	-	बाजरा
				00029	खिरखिरी	-	-	-	-	बाजरा
				00032	कराहल	-	-	-	-	बाजरा
		गोरस		00002	झरेर	-	-	-	-	बाजरा
				00005	गढला	-	-	-	मक्का	-
				00007	मदनपुर	-	-	-	मक्का	-
				00010	गोठरा	धानसिंचित	-	-	-	-
		पेहला		00037	सुसवाडा	-	-	सोयाबीन	-	-
		बडोद								
		पाणडोला								
				00023	सिरसोद	धानसिंचित	-	-	-	-
		बडोदा								
				00004	कुहजापुर	-	-	सोयाबीन	-	-
				00005	बासोद	धानसिंचित	-	सोयाबीन	-	-
				00006	अलापुर	धानसिंचित	-	-	-	-
				00007	उतनवाड	-	-	सोयाबीन	-	-
				00008	हिरनीखेडा	धानसिंचित	-	सोयाबीन	-	-
				00009	नारायणपुरा	-	-	सोयाबीन	-	-
				00010	लुहाड	धानसिंचित	-	-	-	-
				00011	गलमान्या	धानसिंचित	-	सोयाबीन	-	-
				00012	पाणडोली	धानसिंचित	-	सोयाबीन	-	-
				00013	पाणडोला	धानसिंचित	-	सोयाबीन	-	-
				00019	राडेप	धानसिंचित	-	सोयाबीन	-	-
				00020	मेखडाहेडी	धानसिंचित	-	सोयाबीन	-	-
				00024	बडोदा	धानसिंचित	-	सोयाबीन	-	-
				00025	इन्द्रपुरा	धानसिंचित	-	सोयाबीन	-	-
				00026	प्रेमपुरा	-	-	सोयाबीन	-	-
				00027	ललितपुरा	धानसिंचित	-	-	-	-
				00028	उद्योतपुरा	धानसिंचित	-	सोयाबीन	-	-
				00029	राधापुरा	धानसिंचित	-	सोयाबीन	-	-
			00030	कुडायथा	धानसिंचित	-	-	-	-	
			00032	बोरदादेह	धानसिंचित	-	-	-	-	
			00033	भिलवाडिया	-	-	सोयाबीन	-	-	
			00034	महाराजपुरा	धानसिंचित	-	सोयाबीन	-	-	
			00035	रतौदन	-	-	सोयाबीन	-	-	
			00037	हलगायडाखुद	-	-	सोयाबीन	-	-	
	विजयपुर									
	अगरा									
			00002	अरौद	-	-	-	-	बाजरा	
			00003	चेटीखेडा	-	-	-	-	बाजरा	
			00004	अगरा	-	-	-	-	बाजरा	
			00005	उमरीकला	-	-	-	-	बाजरा	

		00006	कदवाई	-	-	-	-	बाजरा
		00007	मंगरदेह	-	-	-	-	बाजरा
		00008	बैचाई	-	-	-	-	बाजरा
		00009	पिपरवास	-	-	-	-	बाजरा
		00010	धामनी	-	-	-	-	बाजरा
		00012	वैनीपुरा	-	-	-	-	बाजरा
		00014	पार्वतीबडीदा	-	-	-	-	बाजरा
		00015	इकलौद	-	-	-	-	बाजरा
	गंसवानी							
		00011	बडादाकलां	-	सोयाबीन	-	-	बाजरा
		00039	सिमरई	-	सोयाबीन	-	-	बाजरा
		00041	चिमलवानी	-	सोयाबीन	-	-	बाजरा
		00042	खुंरजान	-	सोयाबीन	-	-	बाजरा
		00043	बुटोस	-	सोयाबीन	-	-	बाजरा
		00044	सहस्रराम	-	सोयाबीन	-	-	बाजरा
		00045	फरारा	-	सोयाबीन	-	-	बाजरा
		00046	गंसवानी	-	सोयाबीन	-	-	बाजरा
		00047	किजरी	-	सोयाबीन	-	-	बाजरा
		00048	नहरखंडा	-	सोयाबीन	-	-	बाजरा
	विजयपुर							
		00013	आरोदा	-	-	-	-	बाजरा
		00016	हल्लपुर	-	-	-	-	बाजरा
		00017	गढी	-	-	-	-	बाजरा
		00020	खितरपाल	-	-	-	-	बाजरा
		00021	लाडपुरा	-	-	-	-	बाजरा
		00022	मेदावली	-	-	-	-	बाजरा
		00023	विजयपुर	-	-	-	-	बाजरा
		00024	सुनवई	-	-	-	-	बाजरा
		00025	बांगरोद	-	-	-	-	बाजरा
		00026	रनावद	-	-	-	-	बाजरा
		00027	गोहरा	-	-	-	-	बाजरा
		00028	बरदुला	-	-	-	-	बाजरा
		00029	दोद	-	-	-	-	बाजरा
		00031	मेवरा	-	-	-	-	बाजरा
		00032	काठोद	-	-	-	-	बाजरा
		00033	पचनया	-	-	-	-	बाजरा
		00034	गोहठा	-	-	-	-	बाजरा
		00037	दाउदपुर	-	-	-	-	बाजरा
		00038	गोपालपुर	-	-	-	-	बाजरा
	वीरपुर							
	रघुनाथपुर							
		00001	दांतेटी	-	-	-	-	बाजरा
		00002	बलावनी	-	-	-	-	बाजरा
		00003	टराखुद	-	-	-	-	बाजरा
		00005	टराकलां	-	-	-	-	बाजरा
		00006	किन्मपुरा	-	-	-	-	बाजरा
		00007	सुठारा	-	-	-	-	बाजरा
		00008	अरौदरी	-	-	-	-	बाजरा
		00010	हिरापुरा	-	-	-	-	बाजरा
		00014	रघुनाथपुर	-	-	-	-	बाजरा
		00028	मोरका	-	-	-	-	बाजरा
		00029	पुरा	-	-	-	-	बाजरा
		00030	ओछा	-	-	-	-	बाजरा
	वीरपुर							
		00011	नीमच	-	-	-	-	बाजरा
		00012	रिङ्गटा	-	-	-	-	बाजरा

		00013	बरोली		-	-	-	-	बाजरा
		00016	जमूदी		-	-	-	-	बाजरा
		00017	नदीगांव		-	-	-	-	बाजरा
		00018	घूसस		-	-	-	-	बाजरा
		00019	गोहर		-	-	-	-	बाजरा
		00020	जिमरछा		-	-	-	-	बाजरा
		00021	नितनवास		-	-	-	-	बाजरा
		00022	पांचो		-	-	-	-	बाजरा
		00024	बडागांव		-	-	-	-	बाजरा
		00025	वीरपुर		-	-	-	-	बाजरा
		00026	जाखर		-	-	-	-	बाजरा
		00027	श्यामपुर		-	-	-	-	बाजरा
	श्यापुर								
			प्रेमसर						
		00015	लहचौडा	धानसिंचित	-	सोयाबीन	-	-	-
		00024	बनवाडा		-	सोयाबीन	-	-	-
		00025	बडीदाराम		-	सोयाबीन	-	-	-
		00029	नागरगायडा		-	सोयाबीन	-	-	-
		00041	तिल्लीपुर		-	सोयाबीन	-	-	-
		00042	गोहडा		-	सोयाबीन	-	-	-
		00044	आसीदा	धानसिंचित	-	सोयाबीन	-	-	-
		00045	प्रेमसर	धानसिंचित	-	सोयाबीन	-	-	-
		00052	छोटाखेडा		-	सोयाबीन	-	-	-
		00059	दोटी	धानसिंचित	-	सोयाबीन	-	-	-
	मानपुर								
		00001	खिरखिरी		-	-	-	-	बाजरा
		00002	दोदर		-	-	-	-	बाजरा
		00003	होसिलपुर		-	-	-	-	बाजरा
		00004	बगदिया		-	-	-	-	बाजरा
		00005	धीरोली		-	सोयाबीन	-	-	बाजरा
		00006	सैमन्दा		-	-	-	-	बाजरा
		00007	लाडपुरा		-	-	-	-	बाजरा
		00008	काशीपुर		-	सोयाबीन	-	-	-
		00009	मानपुर		-	सोयाबीन	-	-	बाजरा
		00010	जेनी		-	सोयाबीन	-	-	बाजरा
		00011	सेवापुर		-	सोयाबीन	-	-	बाजरा
		00012	जवासा		-	सोयाबीन	-	-	-
		00013	तलावदा	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00014	दातरदाकलां		-	सोयाबीन	-	-	बाजरा
		00016	जायदेधर	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00017	बहरोयदा		-	सोयाबीन	-	-	-
		00018	मेवाडा		-	-	-	-	बाजरा
		00019	चकवमूल्या		-	-	-	-	बाजरा
		00020	शंकरपुर		-	-	-	-	बाजरा
		00021	गुरुनावदा		-	-	-	-	बाजरा
		00023	बगडुआ	धानसिंचित	-	-	-	-	बाजरा
	श्यापुर								
		00030	सोईकला	धानसिंचित	-	सोयाबीन	-	-	-
		00031	जवालापुर	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00032	नन्दापुर	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00033	बर्षाबुजुर्ग	धानसिंचित	-	सोयाबीन	-	-	-
		00035	बगवाज	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00037	कलारना	धानसिंचित	-	-	-	-	-

		00038	रायपुरा	धानसिंचित	-	सोयाबीन	-	-	-
		00039	नागदा		-	सोयाबीन	-	-	-
		00040	नगदी	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00054	तुलसेफ		-	सोयाबीन	-	-	-
		00055	रामगांवडी		-	सोयाबीन	-	-	-
		00056	कुंडहवेली		-	सोयाबीन	-	-	-
		00057	कनापुर		-	सोयाबीन	-	-	-
		00060	जैदा		-	सोयाबीन	-	-	-
		00061	मिठेपुरा		-	सोयाबीन	-	-	-
		00062	सेमन्दा हवेली	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00063	अजापुरा	धानसिंचित	-	सोयाबीन	-	-	-
		00064	हलगावडाबुजुर्ग	धानसिंचित	-	सोयाबीन	-	-	-
		00065	जानपुरा	धानसिंचित	-	सोयाबीन	-	-	-
		00066	मयापुर	धानसिंचित	-	सोयाबीन	-	-	-
		00067	फतेहपुर	धानसिंचित	-	-	-	-	-

संशोधित राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना (पायलट) फसल बीमा योजनान्तर्गत खरीफ 2011 हेतु अधिसूचित किये जाने के लिये जिला/तहसील/फसलवार सूची

क्रमांक	जिला	तहसील
फसल ज्वार		
1	दतिया	1 सेवढा
2	शयोपुर	2 शयोपुर
		3 कराहल
3	ग्वालियर	4 ग्वालियर
		5 डबरा
		6 भितरवार
फसल मूंगफली		
1	दतिया	1 दतिया
फसल तिल		
1	दतिया	1 दतिया
		2 सेवढा
2	शयोपुर	3 विजयपुर
		4 शयोपुर
		5 कराहल
3	ग्वालियर	6 ग्वालियर
		7 डबरा